रेलवे के मामले में हमारे माननीय सदस्य भूल जाते हैं कि रेलवे न जोनवाइज सोचती है और न प्रदेशवाइज सोचती है। हमारे लिए आल इंडिया एक युनिट है। अभी एक क्वेश्चन हुआ था। लोग पूछ रहे थे कि जोनवाइज कितनी ट्रेंस चली। मैं पूछता हूं कि जो ट्रेन चण्डीगढ़ से रांची जाती है वह कितने जोंस से जाती है ? फिर हम कैसे कह दें कि कितने जोंस से गई। एक ट्रेन दिल्ली से कलकत्ता जाती है उसके लिए भी हम कैसे कह दें कि वह किस एक जोंस से पास हुई। इसी तरह से के० के० एक्सप्रेस है वह कन्याकुमारी से जम्मू जाती है। वह मद्रास टच करती है, बंगलोर टच करती है और दिल्ली भी आती है और जम्मू तक जाती है। आप इसे कैसे जोनवाइज बता सकते हैं। ऐसी बड़ी बड़ी रेल चली हैं। अगर कोई ब्रांच लाइन हो तो उसके बारे में कहा जा सकता है लेकिन जो ट्रेन कन्याकुमारी से जम्मू तक जाती है उसके बारे में कैसे कहें। कन्याकुमारी से जम्मू को जोड़ना था जोड़ दिया। रेलवे नेशनल प्वाइंट आफ व्यू से सोचती है।

मैं यह मानता हूं नेशनल इम्बेलेंसिज दूर होने चाहिए। बजट के उत्तर में मैंने कहा है कि उसके लिए एक कमेटी की रिपोर्ट आयी है। उस पर कार्यवाही हम कर रहे हैं। मैं यह मानता हूं कि रीजनल इम्बेलेंसिज बड़ी गलत चीज है और उसको मिटाने की कोशिश होनी चाहिए। उसके लिए एक नेशनल प्वाइंट आफ व्यू रखना होगा जो हम रखते हैं।

अगर मान्यवर कोई और शिकायत हो जिसका जवाब देना छूट गया हो.. (व्यवधान) आपने मेरे यहां आइये और चाय पीजिए। मैं आपकी बात सुनूंगा और सुन कर के जो मानने लायक होगी वह मान लूंगा। इसमें आपको संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मानने लायक नहीं होगी उसके बारे में आप को समझाउंगा।

इस तरह आप सभी का बहुत धन्यवाद।

MR. SPEAKER: Now, the question is:

"That the Bill to auhorise payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1980-81 for the purposes of Railways, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: The House will now take up clause by clause consideration of the Bill. The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill".

The motion was adopted

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

The Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Tit'e were added to the Bill.

SHRI KAMLAPATI TRIPATHI: I move:

"That the Bill be passed".

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed".

The motion was adopted.

12.45 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) SUPPLY OF IMPROVED VARIETY OF SEEDS OF MAIZE AND MILLET THROUGH FAIR PRICE SHOPS IN MADHYA PRADESH.

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में वर्षा हो जाने से बुवाई का कार्य प्रारम्भ हो गया है किन्तु मक्का तथा ज्वार के उन्नत बीजों का वहां अभाव है तथा भारतीय बीज निगम के भावों पर बीज उपलब्ध नहीं है। खुले बजार में बीज कम मात्रा में और बहुत ऊंची कीमत में बिक रहा है। ऐसी स्थिति में किसान परेशान हैं और उसका प्रभाव खरीफ की उपज पर भी पड़ने वाला है। साथ ही कीटाणु नाशक दवाए तथा रासायनिक खाद भी उपलब्ध नहीं है। अतः शासन भारतीय खाद्य निगम व रासायनिक खाद्य निगम के माध्यम से राज्य शासन को बीज कीटाणुनाशक दवाएं उपलब्ध करवाने तथा राज्य शासन से उचित मूल्य पर वितरण कराने की व्यवस्था करे।

12.46 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

(ii) PAYMENT OF WAGES TO LABOURERS UNDER DROUGHT RELIEF PROGRAMME IN DUNGARPUR AND BANSWARA AREAS OF RAJASTHAN

श्री भीखा भाई (बांसवाडा) : राजस्थान के डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा को राष्ट्रपति जी द्वारा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित किया गया है। अकाल निवारण एवं अन्य प्रशासनिक मामले केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन आते हैं। वहां के जिलों के अकाल कार्यों में लगे हुए सैकड़ों मजदूरों

[श्री भीखा भाई]

को मजदूरी का भुगतान अभी तक नही हुआ है । मजदूरों को भुगतान करने के क्रम में अभी तक अपर्याप्त प्रयत्न किए गए हैं । मजदूर पेमेंट नही मिलने से परेशान हो गए हैं । इससे हमारे प्रधान मंत्री जी के बारह सूत्री अकाल कार्यक्रम की अवहेलना हो रही है । अत. राज्य सरकार को निदेश दिया जाए कि वह बका हुआ मजदूरों का भुगतान अविलम्ब कराए ।

(iii) STEPS TO MEET THE LEGITIMATE DEMANDS OF HANDLOOM INDUSTRY.

SHRI K. KUNHAMBU (Cannanore): Sir, the handloom weavers of Kerala have gone on a strike demanding protection to the handloom industry and higher wages and other benefits for the workers.

Many organisations connected with the handloom industry have made repeated representations to the Central Government demanding a reduction in the price of yarn. The Kerala Government itself has requested the Centre to do something about it But, strangely enough, the Central Government went on increasing the price of yarn. In March last, the Prime Minister had given an assurance that the matter would be given sympathetic consideration. But the Government has not cared to implement that assurance. The price of yarn has gone upto between 45 and 47 per cent. In this situation, it is essential that the price be brought down to 1978 level, and it has to be maintained at this level for some more time so that the handloom industry is not ruined.

The handloom industry is a decentralised one in many areas. As a result of that, the workers are deprived of minimum wages and other benefits. The Central Government should take initiatives to re-organize this industry on factory lines and on force national minimum wages.

I, therefore, request the Government to take immediate steps so that the legitimate demands of the workers in the handloom industry are met.

(iv) REPORTED NON-AVAILABILITY OF SUGAR AND OTHER RATIONED ITEMS AT FAIR PRICE SHOPS IN NORTH AVENUE AND OTHER PARTS OF DELHI

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, राशन की दुकानों में चीनी नहीं । नई दिल्ली के प्रेसिडेंट एस्टेट स्थित मार्किट में राशन की दो दुकानें हैं । उनसे अन्य नागरिकों के अतिरिक्त नार्थ एवेन्यु में रहने वाले संसद्-सदस्यों को भी राशन, चीनी आदि वस्तुएं मिलती हैं । परन्तु आश्चर्य है कि जून माह में उक्त दुकानों के कार्डधारी उपभोक्ताओं को एक दाना भी चीनी नसीब नहीं हुई । अधिकांश उपभोक्ताओं को खुले बाजार से सात रुपये किलो के भाव से चीनी खरीद कर काम चलाना पड़ रहा है । अत. उनकी कठिनाइयों का अनुमान आसानी के साथ लगाया जा सकता है ।

उपभोक्ताओ को माह मे दो बार चीनी मिलती है, पर जून माह में एक बार भी नही मिली । दुकानदार बराबर यही जवाब देते है कि स्टाकिस्ट ने उन्हें चीनी की सप्लाई नही की है, ग्राहक चाहे तो अन्यत्र जा सकते है । ग्राहको को इस माह मे यानी जुलाई मे भी अब तक चीनी का दर्शन नही हुआ है । राशन की भी यही स्थिति है, कभी चावल मिलता है तो गेहू नही और गेहू मिलता है तो चावल नही ।

चीनी नही मिलने की शिकायत एक सासद ने लोक-सभा के अध्यक्ष से चार बार की, सासद ने आपूर्ति मंत्री से भी कहा । लोक सभा अध्यक्ष ने आपूर्ति मंत्री को इस बारे मे पत्र भी लिखा, पर जवाब नदारद । 27 जून को कुछ सांसदों ने दिल्ली में चीनी के अभाव तथा मूल्य वृद्धि का महत्वपूर्ण सवाल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाया, उक्त दुकानों की भी चर्चा की गई, जवाब मे कृषि मंत्री ने चीनी की कठिनाई दूर करने का आश्वासन भी दिया, परन्तु दुःख है कि उनका आश्वासन कोरा आश्वासन बन कर रह गया ।

दिल्ली प्रशासन के लिये यह विचार करने योग्य बात है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी संसद्-सदस्यो समेत आम उपभोक्ताओ को राशन की दुकानो से चीनी नहीं मिल रही है । दुकानदार भागा फिर रहा है । इस सम्बन्ध मे आपूर्ति मंत्री को सदन में वक्तव्य देकर स्थिति को स्पष्ट करना चाहिये ।

(v) STEPS TO CLEAR THE PENDING CASES IN CALCUTTA INDUSTRIAL TRIBUNAL

SHRI SUSHIL BHATTACHARYYA (Burdwan): A good number of cases are pending at Calcutta Industrial